

कार्यालय जिला परिषद्, नवादा।

जिला परिषद्, नवादा द्वारा बस एवं टैक्सी पड़ावों की बन्दोवस्ती के नियम एवं शर्त

- (1) जिला परिषद्, नवादा द्वारा संचालित बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती खुले डाक द्वारा की जायेगी।
- (2) डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि के पूर्व अग्रधन की राशि रोकड़पाल, जिला परिषद्, नवादा के पास जमा कर मूल रसीद प्राप्त करने के पश्चात ही भाग ले सकते हैं।
- (3) उच्चतम डाक की आधी राशि डाक के समय जमा करनी होगी तथा शेष आधी राशि दिनांक-30.06.2016 एवं 30.09.2016 को बी0डी0 के माध्यम से जमा करना होगा। उक्त राशि जमा नहीं होने पर बन्दोवस्ती स्वतः रद्द मानी जायेगी। बकाया राशि जमा नहीं करने पर राशि की वसूली हेतु निलाम पत्रवाद दायर कर वसूली की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही साथ एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन के लिए भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।
- (4) अत्याधिक स्पर्धा होने पर जैसे-जैसे डाक की राशि बढ़ेगी वैसे-वैसे अनुपातिक राशि जमा करने के पश्चात ही डाकवक्ता आगे बोली बोल सकेंगे।
- (5) किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था, प्राकृति आपदा, वाहन हड़ताल तथा अन्य स्थानीय कारणों से हानि की स्थिति में बन्दोवस्ती की राशि में किसी तरह की छूट अथवा क्षतिपूर्ति करने का दायित्व जिला परिषद् पर नहीं होगी।
- (6) जिला परिषद् का पूर्व बकायादार डाक में भाग नहीं ले सकेंगे। परन्तु पूर्व बकायेदार डाक प्रारम्भ होने के पूर्व बकाया राशि जमा कराकर प्राप्ति रसीद के साथ डाक में भाग ले सकेंगे।
- (7) उच्चतम डाक की पूरी राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी। एवं आवेदकों के साथ क्रमानुसार यह प्रक्रिया लागू होगी। तथा द्वितीय वक्ता/तृतीय वक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।
- (8) नियम एवं शर्त के तहत बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती तथा एकरारनामा करने के बाद अन्य आवेदकों का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।
- (9) सफल डाकवक्ता को बन्दोवस्ती राशि का तीन प्रतिशत राशि मुद्रांक शुल्क स्वरूप बी0डी0 के मध्यम से एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा/निबन्धन का खर्च बन्दोवस्तधारी को स्वयं वहन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर बन्दोवस्ती मान्य नहीं होगी एवं उच्चतम दूसरे डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।
- (10) निर्धारित चुंगी के अतिरिक्त राशि वसूली किये जाने पर 5000.00 (पाँच हजार) रुपये दंड के रूप में वसूलनीय होगी एवं डाकवक्ता का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- (11) बस एवं टैक्सी पड़ावों तथा दैनिक चुंगी की बन्दोवस्ती वर्ष 2016-17 (यानि दिनांक 01.04.16 से 31.03.17) के लिए की जा रही है।
- (12) अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (13) जिला परिषद् द्वारा बन्दोवस्त की गयी दुकानदारों के अलावे सभी दुकानदार अवैध समझे जायेंगे।
- (14) बस पड़ाव की सफाई एवं विधि व्यवस्था बन्दोवस्तधारी को स्वयं करना होगा।
- (15) अपराधिक चरित्र के व्यक्ति के साथ बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती नहीं की जायेगी।

- (16) डाक समाप्ति के बाद सफल डाकवक्ता द्वारा बोली गई डाक राशि की आधी राशि उसी समय कार्यालय में प्राप्ति रसीद लेकर नगद जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि का समायोजन बाद में किया जायेगा।
- (17) इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्त की जानकारी मो0 500.00 रुपये नगद जमा कर रसीद प्राप्त कर जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- (18) यदि सफल डाकवक्ता डाक के समय बोली गयी उच्चतम डाक की राशि की आधी राशि को नगद जमा करने में असफल होंगे तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि को जब्त कर ली जाएगी एवं द्वितीय अधिकतम डाकवक्ता के साथ सैरात की बन्दोवस्ती पर विचार किया जा सकता है।
- (19) जिला परिषद द्वारा चुंगी वसूली करने के लिये निम्नलिखित दर है :-

बस एवं टैक्सी पड़ाव बुधौल एवं बस पड़ाव सं0 3 नवादा की चुंगी वसूली दर

1	बस	115.00
2	मिनी बस	70.00
3	टाटा मैक्सी	60.00
4	जीप	35.00
5	टेम्पो	10.00

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, नवादा।

o/c

12.03.16

12.3.15

14/3/16

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, नवादा।